

8. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 के अन्तर्गत बाजार मूल्य का अवधारण किया गया।
(पताका-ज)
9. ग्राम मुरकुड़िया में स्थित हैड़ाखान मंदिर एवं अन्य सरकारी सम्पत्तियों का अधिनिर्णय आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

ऑगणन के अनुसार प्रतिकर एवं पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन सहायता का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिकानुसार है :-

क. सं.	प्रभावित ग्राम का नाम	प्रथम श्रेणी के परिवारों की संख्या	द्वितीय श्रेणी के परिवारों की संख्या	तृतीय श्रेणी के परिवारों की संख्या	प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या	प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (है० में)	प्रभावित भूमि का देय प्रतिकर तोषण एवं गुणांक सहित (रु० में)	प्रभावित भूमि के प्रतिकर पर देय 12 प्रतिशत ब्याज (रु० में)	प्रभावित भवन व अन्य अवसंरचनाओं का देय प्रतिकर तोषण सहित (रु० में)	प्रभावित वृक्षों का देय प्रतिकर तोषण सहित (रु० में)	पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन सहायता (रु० में)	प्रभावित ग्राम को देय कुल प्रतिकर (रु० में)
1	पनियाबोर	16	60	7	83	4.225	25350000	3739125	34411102	2818174	280829061	347147462
2	पस्तोला	36	133	39	208	6.843	41058000	6056055	65526704	11427208	638496683	762564650
3	उड़वा	19	87	38	144	3.171	19026000	2806335	30931006	2120112	431160534	486043987
4	गनराड़	19	107	15	141	9.416	56496000	8333160	40843366	4238884	465923670	575835080
5	तिलवाड़ी	22	144	32	198	4.190	25140000	3708150	47644990	2351078	656053600	734897818
6	मुरकुड़िया	101	290	102	493	21.626	129756000	19139010	285019728	17459360	1440569392	1891943490
कुल योग		213	821	233	1267	49.471	296826000	43781835	504376896	40414816	3913032940	4798432487
कुल योग शब्दों में							रु० चार अरब उन्नासी करोड़ चौरासी लाख बत्तीस हजार चार सौ सतासी मात्र					

उक्त प्रतिकर निर्धारण में प्रत्येक ग्राम के खातेदारों का अभिलेखों के आधार पर एक सप्ताह तक भूमि में मौके भवन वृक्ष, अन्य संरचनाओं का धारा-19 के अनुरूप प्रकाशित भूमि पर किये गये सर्वे के अनुसार तथा तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर खातेदार वार सूची को निम्न समिति द्वारा तैयार किया गया और परीक्षण किया गया :-

जमरानी बाधे परियोजना के अधिकारियों श्री ललित कुमार उपमहाप्रबन्धक-03, पी०आई०यू०, जमरानी, हल्द्वानी, श्री हिमांशु पन्त परियोजना प्रबन्धक पी०आई०यू०, जमरानी, हल्द्वानी एवं कर्मचारियों श्री चंद्रशेखर कांडपाल उपराजस्व अधिकारी, श्री मोहम्मद इमरान सहायक परियोजना प्रबन्धक, श्री सुभाष चंद्र तिवारी जिलेदार श्री आनंद बिष्ट क्षेत्रीय अभियन्ता, श्री अमित विश्वकर्मा सींच पर्यवेक्षक, राजस्व विभाग से श्रीमती जया भाकुनी व श्री प्रकाश देवतल्ला, श्री गंगा दत्त पलडीया, श्री प्रमोद जोशी, राजस्व उपनिरीक्षक वं सुश्री मनीषा मरकाना तहसीलदार नैनीताल, एवं कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नैनीताल से श्री पूरन चन्द्र, श्री अजय सिंह, भूमि अध्याप्ति निरीक्षक/अमीन श्रीमती भवानी रावत कनिष्ठ सहायक तथा श्री फिंचाराम चौहान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नैनीताल के पर्यवेक्षण में जांच की गई।

उक्त के आलोक में भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अन्तर्गत धारा-23 व धारा-31 की घोषणा जारी करना चाहें।


भवानी रावत,
कनिष्ठ सहायक


(फिंचाराम चौहान)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
नैनीताल

ग्राम मुरकुड़िया जनपद नैनीताल की अधिग्रहण की गयी निजी भूमि व परिसम्पत्तियों के निर्धारित गये प्रतिकर धनराशि का विवरण जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना हेतु पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन 2022 के अनुसार आंगणित है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 के अनुरूप अधिसूचित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम कुड़िया तहसील नैनीताल में अधिग्रहण की गयी कुल 21.626 है० निजी भूमि की उपरोक्तानुसार अंकित राशि **रु० 451374098.00** (पैतालीस करोड़ तेरह लाख चौहत्तर हजार अठ्ठानब्बे रुपया मात्र) एवं पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों की कुल धनराशि **रु० 1440569392.00** (एक अरब चौवालीस करोड़ पाँच लाख हत्तर हजार तीन सौ बयानब्बे रुपया मात्र) सहित सम्पूर्ण धनराशि योग **रु० 1891943490.00** (एक अरब नवासी करोड़ उन्नीस लाख तैंतालीस हजार चार सौ नब्बे रुपया मात्र) एतद् द्वारा पारित किया जाता

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नैनीताल जमरानी बांध परियोजना से विस्थापित एवं प्रभावित रेवारों को परिशिष्ट-02 में उल्लेखित धनराशि का वितरण सुनिश्चित करें।

लग्न:- परिशिष्ट 02

नांक:- /09/2024

SLAD

कलेक्टर/जिलाधिकारी,
नैनीताल